फौज.प्र.क. : 1056 / 2014

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०) {समक्ष :डी.एस.मण्डलोई}

<u>फौज.प्र.क. : 1056 / 2014</u> संस्थित दि: 14 / 11 / 2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,	
जिला बालाघाट (म.प्र.)	अभियोगी
6	

विरुद्ध

अशोक कदम पिता स्व. नीलकण्ड, उम्र 28 साल, निवासी मानेगांव, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.) आरोपी

–<u>:: निर्णय ::</u>–

(आज दिनांक 13/12/2014 को घोषित किया गया)

- (01) आरोपी पर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) का आरोप है कि आरोपी दिनांक 09/11/2014 को समय 16::30 बजे स्थान मानेगांव थाना बिरसा के अन्तर्गत अपने आधिपत्य में एक प्लास्टिक के थैले में 180 एम.एल. की 22 पांव देशी प्लेन शराब अवैध रूप से बिना आज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा—पत्र के रखें हुए पाया गया।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रधान आरक्षक अरविंद डोंगरे दिनांक 09.11.2014 को हमराह स्टाप के साथ जुर्म जयराम की पतासाजी हेतु देहात रवाना हुआ था कि कस्बा भ्रमण के दौरान उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मानेगांव बाजार चौक में एक व्यक्ति अपने कब्जे में अवैध रूप से एक प्लास्टिक के सफेद रंग के थैले में शराब लेकर खड़ा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हमराह स्टाफ को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ कर तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से एक प्लास्टिक के सफेद रंग के थैले में 180 एम.एल. की 22 पांव देशी प्लेन शराब रखे हुये पाया गया। आरोपी से शराब रखने के लायसेंस के संबंध में पूछने पर आरोपी ने लायसेंस न होना

व्यक्त किया। बिना लायसेंस के शराब पाया जाना मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी से शराब जप्त कर, आरोपी को गिरफ्तार कर, आरोपी के बिरूद्ध अपराध क. 149/14 अन्तर्गत आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के तहत यह अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- (03) आरोपी को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाई व समझाई गई।
- (04) आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-
 - (अ) क्या आरोपी दिनांक 09/11/2014 को समय 16::30 बजे स्थान मानेगांव थाना बिरसा के अन्तर्गत अपने आधिपत्य में एक प्लास्टिक के थैले में 180 एम.एल. की 22 पांव देशी प्लेन शराब अवैध रूप से बिना आज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा—पत्र के रखे हुए पाया गया ?

—:: <u>सकारण निष्कर्ष</u> ::—

- (05) आरोपी को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया ।
- (06) आरोपी द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।
- (07) अभियोजन द्वारा आरोपी के विरूद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आरोपी का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपी के द्वारा अपराध की स्वेचछयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।
- (08) आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 1200 / — (एक हजार दो सौ रूपये) के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने

फौज.प्र.क. : 1056 / 2014

तक की सजा से दण्डित किया जाता है। 🦽

- (09) अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में आरोपी को एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे ।
- (10) प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल 22 पांव देशी प्लेन शराब मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया । मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

ATTAIN PREED TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY O